न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 72/2021 बउनवानी राजकुमार चौहान बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार .चौथ का बरवाडा
सचिव, नेशनल नेचुर सोसायटी,1/837, मालवीय नगर जयपुर

GCMS No-2021/189

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित बडा तालाब व छोटा तालाब का राजस्व रिकार्ड सम्वत्, 2014 से 2074 तक खसरा गिरदावरी ख0न0 क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस मय आस पास के खसरा नम्बरान की प्रमाणित प्रति। 2. वर्तमान में इन तालाबो तथा इनके केचमेन्ट एरियॉ मे कोई अतिक्रमण हो तो उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण समस्त आर्डर शीट सहित। 3. इन तालाबों के आस–पास कोई जमीन अलॉट की है तो उसका विवरण । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना; लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/भू0अ0/2021/316 दिनांक 17.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.1.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में ग्राम शिवाड के बडा तालाब एवं छोटा तालाब का राजस्व रिकार्ड सम्वत्2014–2074 तक राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी,नक्शा ट्रेस,खसरा नम्बर क्षेत्रफल की सूचना चाही गयी है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त नाम से कोई भूमि अंकन नही होने, तालाबो तथा केचमेंट एरिया का ख0न0 अंकन नही होने के कारण अतिक्रमण की कार्यवाही की सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.1.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित राजस्व रिकार्ड के ख0न0 अंकित नही होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को सूचना नही दी गयी है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ख0न0 इत्यादि अंकित नही किया है किन्तु ग्राम शिवाडा के बडा तालाब एवं छोटा तालाब किस खसरा नम्बर पर स्थित है के संबंध में संबंधित पटवारी हल्का को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ओर यदि संबंधित पटवारी को उक्त तालाबों के ख0न0 की जानकारी है तो अपीलान्ट द्वारा चाही गयी तीनो बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाया जाना असम्भव नही है। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 15 दिवस मे अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:44:24 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर